

06/01/26

पत्राण पैरा इरी वादी वकील अण। प्रतिवादीण की तलवी हतु मौफ़ा चाहा गया। पूर्व में अनेक अवसर दिसे जा चुके हैं। उग्र अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः पत्राण अद्यम पैरवी में इसी स्तर पर ०९२५ के तहत खारिज की जाती है। पत्राण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दायित दफ्तरो।